पत्र संख्या–16/जन0को0 (अधिसूचना)–12/02–2025–.......216.....(जन0को0)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग

(जनगणना कोषांग)

प्रेषक,

डॉ0 महेन्द्र पाल, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता–सह–
प्रधान जनगणना पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक–16/7/2026

विषयः– जनगणना–2027 के अंतर्गत **District Census Handbook(DCHB)**कार्य हेतु नामित/प्रशिक्षित राजस्व कर्मियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत हीविरमित करने तथा नए पदस्थापन स्थान पर भी उक्त कार्य में ही नियोजित करने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय–सह–मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, बिहार के पत्रांक–270, दिनांक–15.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि भारत की जनगणना–2027 से संबंधित पूर्व–तैयारियाँ वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक चरण में हैं। राज्य के सभी जिलों में दिनांक–15.07.2026 से 28.07.2026 तक District Census Handbook(DCHB) का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके उपरांत दिनांक–01.08.2026 से 30.08.2026 तक DCHB के ग्राम निदेशिका एवं नगर निदेशिका का क्षेत्र कार्य (Field Work) किया जाना निर्धारित है।

इस कार्य के अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामों एवं सांविधानिक नगरों की आधारभूत परिसंपत्तियों एवं नागरिक सुविधाओं से संबंधित संवेदनशील आंकड़ों का संकलन किया जाना है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय महत्व के समयबद्ध कार्य में राजस्व कर्मचारियों की भूमिका अपरिहार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ध्यातव्य है कि विभागीय स्थनानांतरण आदेश पत्रांक–298(4) दिनांक–14.07.2026 द्वारा कतिपय राजस्व कर्मचारियों का स्थनानांतरण किया गया है, जिसमें स्थानांतरित राजस्व कर्मचारियों को **दिनांक–17.07.2026** तक विरमित नहीं किये जाने कि स्थिति में स्वतः विरमित समझे जाने का निदेश निर्गत है। चूंकि इन कर्मियों को उक्त कार्य हेतु प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है अथवा दिया जा रहा है, अतः वर्तमान में इन कर्मियों का स्थनानांतरण होने से राष्ट्रीय जनगणना कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।

अतः जनगणना–2027 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को निर्बाध गति से सम्पन्न कराने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विभागीय स्थनानांतरण आदेश द्वारा स्थनानांतरित ऐसे सभी राजस्व कर्मियों एवं अधिकारियों, जिन्हें जनगणना कार्य हेतु नामित किया गया है, को **उनके संबंधित जिलों में DCHB के लिए निर्धारित प्रशिक्षण तिथि की समाप्ति के उपरांत ही विरमित किया जाए।** साथ ही, उन्हें इस स्पष्ट आदेश/शर्त के साथ विरमित किया जाए कि नए पदस्थापन स्थान पर भी इन कर्मियों को इसी कार्य (DCHB) में लगाया जाए, क्योंकि ये पहले ही इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

जिलों में प्रशिक्षण समाप्ति की समय–सारणी निम्नवत् तालिका के अनुसार निर्धारित है :–

क्र0सं0	प्रशिक्षण समाप्ति तिथि	जिला	संख्या
1.	18.07.2026	सहरसा, लखीसराय, अरवल	3
2.	20.07.2026	अररिया, सिवान, भागलपुर	3
3.	22.07.2026	खगड़िया	1
4.	23.07.2026	सुपौल, जहानाबाद, सीतामढ़ी	3
5.	24.07.2026	मधेपुरा, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण	3
6.	25.07.2026	पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास	13
7	26.07.2026	समस्तीपुर	1
8.	27.07.2026	कटिहार, मुजफ्फरपुर, मुंगेर	3
9.	28.07.2026	गोपालगंज, सारण, बाँका, कैमूर (भभुआ), गया, नवादा, जमुई, शिवहर	8

उपरोक्त विवरणी एवं राष्ट्रीय महत्व के इस समयबद्ध कार्य को दृष्टिगत रखते हुए, स्थनानांतरित राजस्व कर्मियों/अधिकारियों को उनके जिले की प्रशिक्षण समाप्ति की निर्धारित तिथि के अगले दिन पूर्वाह्न से उपरोक्त शर्तों के साथ विरमित करना सुनिश्चित किया जाय। **उदाहरणार्थ सहरसा, लखीसराय एवं अरवल जिले का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक– 18.07.2026 को समाप्त होना निर्धारित है, तो इन जिलों के स्थानांतरित राजस्व कर्मियों को दिनांक– 19.07.2026 के पूर्वाह्न से विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

अतः अनुरोध कि उपरोक्त से संबंधित आदेश अपने स्तर से भी निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16/7/26

(डॉ0 महेन्द्र पाल)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–16/जन0को0 (अधिसूचना)–12/02–2025–216 (जन0को0)/रा0,दिनांक–16/7/26

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, विभागीय प्रशाखा–04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/7/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–16/जन0को0 (अधिसूचना)–12/02–2025–216 (जन0को0)/रा0,दिनांक–16/7/26

प्रतिलिपि:–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी अंचलाधिकारी, बिहार/संबंधित सभी राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/7/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–16/जन0को0 (अधिसूचना)–12/02–2025–216 (जन0को0)/रा0,दिनांक–16/7/26

प्रतिलिपि:–निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–16/जन0को0 (अधिसूचना)–12/02–2025–216 (जन0को0)/रा0,दिनांक–16/7/26

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी संबंधित को आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/7/26

सरकार के अपर सचिव।

ई-मेल

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय बिहार
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS BIHAR

8वां तल, सी-जी ब्लॉक, कर्पूरी ठाकुर सदन
8th Floor, C-G Block, Karpoori Thakur Sadan,
आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025
Ashiana-Digha Road, Patna-800025
टेलीफोन/Telephone-0612 2565858 60
E-mail dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

File no. J. 11011/23/2026 - 270

दिनांक:- 15-07-2026

सेवा में,

सचिव -सह- राज्य समन्वयक
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार, पटना।

विषय:- जनगणना-2027 कार्य में नामित राजस्व अधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक लगाए जाने के संबंध में।

संदर्भ: 1.गृह सचिव, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र सं. 9/12/2026-CD(Cen), दिनांक- 11.03.2026।
2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-106 (जन०को०), दिनांक- 07.04.2026।
3. इस निदेशालय से प्रेषित पत्रांक- J.11011/23/2026-I/329479/2026, दिनांक- 14.07.2026।
4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 4/क्षे०स्था० विविध (विभागीय पोर्टल)-03-18/2026-298 (4)/ रा०, दिनांक- 14.07.2026।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत की जनगणना-2027 से संबंधित पूर्व-तैयारियाँ वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक चरण में हैं। इसी अनुक्रम में, राज्य के सभी जिलों में दिनांक **15.07.2026 से 28.07.2026** तक District Census Handbook (DCHB) का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हैं और दिनांक 01.08.2026 से 30.08.2026 तक DCHB के ग्राम निर्देशिका एवं नगर निर्देशिका का क्षेत्र कार्य किया जाना है।

डी.सी.एच.बी. (DCHB) कार्य के अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामों एवं सांविधानिक नगरों (Statutory Towns) की आधारभूत परिसंपत्तियों एवं नागरिक सुविधाओं से संबंधित संवेदनशील आंकड़ों का संकलन किया जाना है। इस संपूर्ण डेटा संकलन एवं ज़मीनी सत्यापन कार्य में राजस्व कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय के पत्रांक- 4/क्षे०स्था० विविध (विभागीय पोर्टल)-03-18/2026-298 (4)/ रा०. दिनांक- 14.07.2026 में राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश के संबंध में अनुरोध है कि DCHB प्रशिक्षण कार्य के लिए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए, ताकि DCHB से संबंधित प्रशिक्षण कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके। साथ ही, स्थानांतरण आदेश के कंडिका - 4 के

आलोक में स्पष्ट करना है कि बिहार राज्य में DCHB के लिए नामित क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण निम्नवत तालिका के अनुसार सम्पन्न होना है।

<u>जिला जनगणना हस्त पुस्तिका (DCHB) के लिए नामित क्षेत्र पदाधिंकारियों का प्रशिक्षण</u>

क्रम संख्या	प्रशिक्षण समाप्ति तिथि	जिला	संख्या
1	18.07.2026	सहरसा, लखीसराय, अरवल	3
2	20.07.2026	अररिया, सिवान, भागलपुर	3
3	22.07.2026	खगड़िया	1
4	23.07.2026	सुपौल, जहानाबाद, सीतामढ़ी	3
5	24.07.2026	मधेपुरा, औरंगाबाद, पूरबा चंपारण	3
6	25.07.2026	पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास	13
7	26.07.2026	समस्तीपुर	1
8	27.07.2026	कटिहार, मुजफ्फरपुर, मुंगेर	3
9	28.07.2026	गोपालगंज, सारण, बाँका, कैमूर (भभुआ), गया, नवादा, जमुई, शिवहर	8

उपरोक्त तालिका एवं राष्ट्रीय महत्व के इस समयबद्ध कार्य को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश के संबंध में प्रशिक्षण तिथि की समाप्ति उपरांत ही राजस्व कर्मियों को इस आदेश के साथ विरमित किया जाए कि पदस्थापन वाले जगह पर इन कर्मियों को उक्त कार्य में लगाया जाये क्योंकि ये DCHB का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

अनुलग्नक-संलग्न।

भवदीया,
15.07.26

(रंजिता, भा.प्र.से.)
निदेशक, जनगणना कार्य –सह-
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी,बिहार

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं यह सुनिश्चित करने हेतु कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त किसी भी अधिकारी/कर्मी को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विरमित नहीं किया जाए।